पटना, सोमवार
2.07.2018

बिहार जागे... देश आगे

प्रभात खबर

आज राजनीति प्रदूषित हो गयी : बिजेंद्र

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आज राजनीति का वातावरण प्रदूषित हो गया है. आज विचारों का आदान-प्रदान नहीं बल्कि, आपस में अंताक्षरी होती है. किसी ने कुछ कहा, तो दूसरे ने पटलवार दूसरे तरीके से किया. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सार्थक बहस नहीं हो, यह बेहद चिंता की बात है. जीएसटी के मामले में हम उस समय विपक्ष में थे. मोदीजी से अलग बैठते थे, फिर भी पूरजोर समर्थन दिया था. बिहार की भूमिका जीएसटी में शानदार रही और आगे भी बनी रहे. कार्यक्रम में स्वागत संबोधन वित्त प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने किया. इस दौरान केंद्रीय जीएसटी के प्रधान-मुख्य आयुक्त शिव नारायण सिंह, आयुक्त रणजीत कुमार, आयुक्त प्रतिमा एस वर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.

28 और 12 फीसदी टैक्स स्लैब मर्ज कर बन सकता नया स्लैब

- राष्ट्रीय स्तर पर आठ लाख 70 हजार करोड़ राजस्व संग्रह हुआ
- इस साल इसके 11 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान

सुशील मोदी ने कहा कि जीएसटी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आठ लाख 70 हजार करोड़ राजस्व संग्रह हुआ है. इस साल इसके 11 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. इस तरह 12 फीसदी ग्रोथ दर्ज किया गया है. अगर हर साल एक लाख करोड़ टैक्स संग्रह का लक्ष्य प्राप्त होता है, तो आने वाले समय में जीएसटी में मौजूद 28 और 12 फीसदी के टैक्स स्लैब को मिलाकर 15 फीसदी का एक नया टैक्स स्लैब तैयार किया जा सकता है. या, कई वस्तुओं को 28 फीसदी के टैक्स स्लैब से बाहर भी किया जा सकता है. जल्द ही जीएसटी की नयी विवरणी लॉच होने जा रही है. उन्होंने कहा कि बिहार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जीएसटी के तहत केंद्र से मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि से बाहर निकलना है. यानी टैक्स संग्रह के बेस को बढ़ाकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना है, जिससे केंद्र से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़े. पांच वर्ष के अंदर ही राज्य 14 फीसदी के ग्रोथ के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भर बन जायेगा. ई-वे बिल प्रणाली को मजबूती से लागू किया जायेगा. बिहार में दो महीने के दौरान 19 हजार 470 ई-वे बिल जारी हुए हैं. डिप्टी सीएम ने कहा कि जीएसटी अगर 1 जुलाई 2017 को लागू नहीं होता, तो फिर यह कभी लागू नहीं होता. चुनाव के पहले सुधार कार्य लागू नहीं किये जा सकते हैं. यह कदम युगांतकारी परिवर्तन है. जीएसटी के पहले देश में टैक्स के क्षेत्र में किओस्क या अराजकता की स्थिति थी. केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 37 राज्यों में 16 टैक्स और 15 तरह के सेस एवं सरचार्ज लागू थे. इनका ग्रैंड यूनिफिकेशन करने की हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखायी.

जीएसटी में पिछले साल की तुलना में 29% हुआ ग्रोथ

पटना. जीएसटी के एक वर्ष पूरे होने के मौके पर केंद्रीय जीएसटी कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जीएसटी (बिहार-झारखंड) के प्रधान आयुक्त शिव नारायण सिंह ने कहा कि पिछले साल की तुलना में टैक्स संग्रह में 29 % की ग्रोथ बिहार और झारखंड में दर्ज की गयी है. बिहार में 82 हजार से बढ़कर टैक्स दाताओं की संख्या एक लाख 66 हजार हो गयी है. पिछले तीन महीने के दौरान इसमें 70% का ग्रोथ दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद समेत जो भी अप्रत्यक्ष कर थे, वे सभी प्रत्यक्ष हो गये हैं. अब ये कर लोगों को दिखने लगे हैं. केंद्रीय जीएसटी के तहत इस क्षेत्र में कुल संग्रह का झारखंड से 80 % और बिहार से 20 % टैक्स का कलेक्शन होता है. जीएसटी आयुक्त (दक्षिण बिहार) रंजीत कुमार ने कहा कि जीएसटी के बाद कर दाताओं की संख्या दोगुनी हो गयी है. शुरुआत में कुछ समस्याएं आयीं, लेकिन समय के साथ समस्याएं दूर हो गयीं. अन्य देशों की तुलना में हमने तेजी से इस नयी टैक्स प्रणाली को आत्मसात किया है. इस मौके पर सभी अधिकारियों और कर्मियों ने केक काटकर जीएसटी दिवस मनाया गया. कस्टम आयुक्त विनायक चंद्र गुप्ता समेत अन्य मौजूद थे.